

JIO DIGITAL FIBER PRIVATE LIMITED

CIN:U64200GJ2018PTC105652

पत्रांक JDFPL/PTR/05 दिनांक 25/15/2024

सेवा में,

उप निदेशक,
पलामू व्याघ्र परियोजना,
उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

विषय :- Jio Reliance Infocom Ltd. द्वारा जिला अन्तर्गत छिपादोहर-महुआडांड-गारू-विजयपुर रोड के किनारे optical fibre cable बिछाने हेतु कुल 2.4447 हे० वन भूमि अपयोजन के करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 564 दिनांक 08.07.2021
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कुल 12 विन्दुओं का अनुपाल प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है, जो निम्नवत् है:-

क्र० सं०	Raised Query	अनुपालन
01	प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का Legal Status स्पष्ट नहीं है। पार्ट- II के कॉलम में प्रमंडलवार Legal Status अंकित किया जाये।	वनभूमि का Legal Status हेतु Land Schedule अनु० के रूप में संलग्न।
02	प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि को दर्शाते हुये 1:50000 स्केल का टोपोशीट संलग्न नहीं है।	अनु० के रूप में संलग्न है।
03	प्रस्ताव के साथ FRA 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।	इस हेतु Undertaking समर्पित किया गया है।
04	दोनों वन प्रमंडल से प्राप्त प्रस्ताव पर पेजिंग नहीं है। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस पेज पर कौन सी अनुलग्नक (अभिलेख) है।	Parivesh 2.0 में सभी प्रक्रिया Online किया जाना है एवं Hard Copy समर्पित करने की आवश्यक नहीं है।
05	चूंकि प्रस्तावित वनभूमि पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी एवं दक्षिणी वन प्रमंडल डालटेनगंज में अवस्थित है। अतः SBWL/NBWL की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, अथवा नहीं? यदि आवश्यक है, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?	आवश्यक है। Wildlife Clearance के लिए Online आवेदन समर्पित SBWL को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। SBWL के स्तर से Revival Plan बनाने हेतु निर्देशित किया गया है। Revival Plan बनाने हेतु Undertaking समर्पित किया गया है।
06	उप निदेशक पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी एवं दक्षिणी वन प्रमंडल डालटेनगंज द्वारा पार्ट- II में दर्ज प्रविष्टि पूर्ण नहीं है। उनके द्वारा दर्ज पार्ट-II में कंडिका 3 से कंडिका 13 तक का उल्लेख (व्यौरा अंकित) नहीं है।	-
07	चूंकि प्रस्तावित वनभूमि दो वन प्रमंडल क्रमशः पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी एवं दक्षिणी वन प्रमंडल डालटेनगंज से गुजरेगी अतः दोनों वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पार्ट- II में प्रविष्टि दर्ज किया जाये।	-
08	प्रस्ताव के साथ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटेनगंज का प्रविष्टि दर्ज कर पार्ट-III संलग्न नहीं है।	-
09	प्रस्ताव के साथ दोनों वन प्रमंडल हेतु वृक्षों की गणना सूचि संलग्न नहीं है। इस परियोजना में कितने वृक्ष काटे जायेंगे तथा कितने वृक्षों का Trimming किया जायगा।	परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान किसी भी प्रकार के वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। इस हेतु Undertaking समर्पित किया गया है।

10	भारत सरकार द्वारा General Approval के तहत 1944 गये दिशा निर्देश का समय सीमा दिनांक 31.12.2020 को समाप्त हो चुकी है। चूंकि प्रयोक्ता अभिकरण JIO Reliance infocom Ltd. Private है। अतः CA हेतु भारत सरकार के पत्रांक F- No- 5-2/2017- दिनांक 28 th March, 2019 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण को CA हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराना होगा अथवा नहीं ? यदि गैर वनभूमि उपलब्ध कराना है, तो CA हेतु समतुल्य गैर वनभूमि का सभी संबंधित अभिलेखों की प्रति संलग्न की जाय।	इस हेतु Undertaking समर्पित किया गया है।
11	पार्ट-11 के कंडिका 13 में CA हेतु समतुल्य गैर वनभूमि का व्यौरा अंकित की जाय।	इस हेतु Undertaking समर्पित किया गया है।
12	CWLW का मंतव्य अप्राप्त है।	-


Vikash Anand,
 Row Executive, Jio Digital Fibre
 Pvt- Limited, Jharkhand